International Journal of Sanskrit Research 2023; 9(1): 14-17

International Journal of Sanskrit Research

अनन्ता

ISSN: 2394-7519
IJSR 2023; 9(1): 14-17
© 2023 IJSR
www.anantaajournal.com
Received: 15-10-2022
Accepted: 20-12-2022

संध्या मिश्रा
अध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय,
ठठेरिया, उतर प्रदेश, भारत

अनीता रानी
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

Corresponding Author:
संध्या मिश्रा
अध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय,
ठठेरिया, उतर प्रदेश, भारत

पत्नी की स्थिति धर्मशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में

संध्या मिश्रा, अनीता रानी

प्रस्तावना

वैदिक साहित्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि पत्नी की स्थिति सुदृढ़ थी। पत्नियों को भी परिवार में पुरुष के समान ही सम्मान प्राप्त था। वेदों में विदुषी स्त्रियों के नाम उल्लिखित हैं जिनमें घोषा, लोपामुद्रा, अपाला, इन्द्राणी आदि हैं। वैदिककाल के पश्चात् शिक्षा के स्तर में भी न्यूनता आई है। पत्नी यज्ञ आदि में भी पति के साथ बैठकर यज्ञ क्रियाओं को करती थी। ब्रह्मचारी आदि को पत्नी आदि के साथ किस प्रकार का व्यवहार व आदर सम्मान किया जाना चाहिए यहीं से प्रारम्भ करते हुए। गौतम धर्मसूत्रकार कहते हैं कि यात्रा से लौटकर आने वाले ब्रह्मचारी को गुरु की पत्नियों के चरण का स्पर्श करना चाहिए।[1] लेकिन कुछ आचार्य कहते हैं कि यदि शिष्य १६ वर्ष का है तो उसे युवती गुरुपत्नी के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए।[2] पत्नी के लिए कहा कि वह किसी अन्य का चिन्तन न करे।[3] वाणी, दृष्टि व कर्म का भी संयम रखे अर्थात् जितना उचित अर्थ हो उतना ही बोले, जो अन्य उन्हें देखें उनको न देखें और स्वयं के कुटुम्ब के लिए कर्म करें।[4] बौधायन ने भी गौतम के मत का समर्थन करते हुए कहा कि स्त्रियों से जितना प्रयोजन हो उतना ही बोलना चाहिए।[5]

मनु ने माना कि बाला स्त्री युवती या वृद्धा स्त्री को घरों में कोई भी कार्य स्वतन्त्रता से नहीं करना चाहिए।[6] मिताक्षरा ने स्त्री को सभी अवस्थाओं में अधीन माना है और स्त्री कभी भी स्वतन्त्र नहीं है।[7]

---

1 विप्रोष्योपसङ्ग्रहणं गुरुभार्याणाम्। गौतमधर्मसूत्र, १.२.३९, पृ. २५

2 नैके युवतीनां व्यवहारप्राप्तेन। गौतम धर्मसूत्र, १.२.९४०, पृ. २५
भ्रातृपत्नीनां युवतीनां च गुरुपत्नीनां जातवीर्यः। बौधायन धर्मसूत्र, २.२.३५, पृ. २५

3 नातिचरेभ्दर्तारम्। गौतम धर्मसूत्र, २.९.२, पृ. १९०

4 वाक्चक्षुः कर्मसंयता। गौतम धर्मसूत्र, २.९.३, पृ. १९०

5 यावदर्थसम्भाषी स्त्रीभिः। बौधायन धर्मसूत्र, १.२.२४
स्त्रीभिर्यावदर्थसम्भाषी। आपस्तम्ब धर्मसूत्र, १.१.३, पृ. १९०
स्त्रीभिस्सह यावत्प्रयोजनं तावदेव सम्भाषेत। आपस्तम्ब धर्मसूत्र, उज्जवलावृति, १.१.३, पृ. १०९

6 बालया वा युवत्या वा वृद्धया वाऽपि योषिता।
न स्वातन्त्र्येण कर्तव्यं किञ्चिद् कार्यं गृहेष्वपि।। मनुस्मृति, ५.१४७
अस्वतन्त्रताः स्त्रियः कार्याः पुरुषैः स्वैर्दिवानिशम्।
विषयेषु च सज्जन्त्यः संस्थाप्या आत्मनो वशे।। मनुस्मृति, ५.२

7 पिता पितुर्वशे तिष्ठेत्पाणिग्रहस्य यौवने।
पुत्राणां भर्तरि प्रेते न भजेत् स्त्री स्वतन्त्रनाम्।। मनुस्मृति, ५.२४८
पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने।
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति।। मनुस्मृति, ५.३
रक्षेत्कन्या पिता पित्रां पतिः पुत्रास्तु वार्ध को अभावे ज्ञातयस्तेषां न स्वातन्त्र्यां किञ्यिस्त्रियाँः याज्ञवल्क्य स्मृति, २.२५
सर्वावस्थासु नारीणां न युक्तं स्यादरक्षणम्।
तदेवानुक्रमात् कार्यं पितृभर्तृ सुतादिभि। शंख समृति, ४.५४

स्त्री पिता, पति व पुत्रों से स्वयं का वियोग न करे क्योंकि इनमें किसी न किसी के साथ यदि वह नहीं रहती है तो पितृकुल व पतिकुल दोनों को ही निन्दनीय करती है।[8]

सदाचार शून्य, स्वेच्छाचारी, विद्यादि गुणों से रहित होने पर भी साध्वी स्त्री को पति की देवता के समान अराधना करनी चाहिए।[9] जबकि यदि स्त्री ऐसी हो तो उसके त्याग का विधान किया जाता है। जिसका पति बाहर गया हो उसको क्रीड़ा, शरीर का शृङ्गार, लोगों के समूह व विवाहादि उत्सवों का दर्शन, किसी के घर में जाना भी नहीं चाहिए।[10] संभवतः ऐसा याज्ञवल्क्य ने स्त्री की रक्षा करने हेतु कहा है। यदि वह शृङ्गारादि करके अनेक लोगों के मध्य जायेगी तो स्त्री के प्रति अन्य पुरुषों का आकर्षण हो सकता है व स्त्री भी किसी अन्य के प्रति आकर्षित हो सकती है।

मनु का मानना है कि जहाँ स्त्रियाँ पूजी जाती हैं वहाँ देवता रमण करते हैं व जहाँ पूजी नहीं जाती वहाँ सभी क्रियाएँ निष्फल हो जाती हैं।[11] जहाँ अपूजित स्त्रियाँ शोकाकुल रहती हैं, वह घर नष्ट होता है व जिस घर में प्रसन्न रहती हैं, वहाँ सर्वदा उन्नति होती है और ये जिन घरों को शाप देती हैं वे घर अभिचार से नष्ट हो जाते हैं। मनु एक ओर स्त्री को पूजने की बात करते हैं दूसरी ओर स्त्रियों को स्वभाव से दूषण लगाने वाली कहते हैं।[12]

मनु कहते हैं कि पुरुषों को दूषित करना स्त्रियों का स्वभाव है इसीलिए पण्डित लोग अर्थात् विद्वान् पुरुष स्त्रियों के साथ सावधानी से रहते हैं।[13] ये स्त्रियाँ काम-क्रोधादि से पण्डितजन को भी सन्मार्ग से कुमार्ग पर ले जाने में समर्थ हैं।[14] जो स्त्री पति की आज्ञा का उल्लंघन करती है, अन्यथा व्यवहार को करती है, ऐसी स्त्री कामचारिणी समझी जाती है।[15]

मनु के अनुसार स्त्रियों को सदैव प्रसन्नचित्त, घर के कार्यों में संलग्न व मितव्ययी होना चाहिए।[16] जो स्त्री मन, वचन, देह से संयमी रहती है वह इस लोक में उत्तम कीर्ति को प्राप्त करती है।[17] वह पत्नी कभी भी त्याग के योग्य नहीं होती है।[18]

कौटिल्य[19] स्त्रियों के लिए व्यवस्था करते हैं कि जिनके पति विदेश गए हों और वे स्त्रियाँ यदि आत्मनिर्भर रहना चाहती हों तो अध्यक्ष को दासियों के द्वारा सूत भेजकर उनसे कतवाना चाहिए। संभवतः कौटिल्य स्त्रियों के लिए वृत्ति के साधनों को उपलब्ध कराते हैं ताकि वे किसी पर आश्रित न हो। आज के समय में भी स्त्रियाँ स्वतन्त्र रूप से कार्य कर रही हैं।

विनय से अवनत जो स्त्री पति के लिए कुरूप है उस स्त्री ने पूर्वजन्म में उमा, अग्नि व पति की अवहेलना की होगी ऐसा माना जाता है और मोहवश पति का उल्लंघन करके वह नरक को भी प्राप्त करती है।[20] परन्तु कालिदास ने शकुन्तला की विदाई के समय कण्व द्वारा कुछ विचारों को कहा कि पति के घर जाकर सभी की सेवा करना, सपत्नियों के साथ भी प्रिय सखी के समान व्यवहार करना, तिरस्कृत होने पर भी क्रोध के आवेश में पति के प्रतिकूल व्यवहार न करना आदि कर्मों को करने वाली स्त्रियाँ लक्ष्मी के समान मानी जाती है। विपरीत चलने वाली कुल के लिए अभिशाप होती हैं।[21]

स्त्रियों के विवाह की विधि को ही वैदिक संस्कार कहा गया अर्थात् वेदाध्ययनार्थक समझा गया है और पति की सेवा व घर का काम ही अग्नि परिचर्चा है।[22] आपस्तम्ब ने विवाह संस्कार से सम्बन्धित किसी भी नियम के अतिक्रमण हो जाने पर पति व पत्नी को नरक प्राप्ति का विधान किया है।[23] स्त्रियों के लिए विवाह को ही सब प्रकार के संस्कारों से युक्त माना है। स्त्रियों की क्रिया को मन्त्रों के द्वारा किया

---

8 पिता भर्त्रा सुतैर्वाऽपि नेच्छेत्विरह मात्मनः।
एषां हि विरहेण स्त्री गर्ह्ये कुर्यादुभ कुले।। मनुस्मृति, ५.२४९
सूक्ष्मेभ्योऽपि प्रसङ्गेभ्यः स्त्रियो रक्ष्या विशेषतः।
द्वयोर्हि कुलयोः शोकमावहेयुररक्षिताः।। मनुस्मृति, ५.४
पितृसातृसुतभ्रातृश्वश्रूश्वशुरमातुलैः। हीना न स्याद्विना भर्त्रा गहणीयाऽन्यथा भवेत् याज्ञवल्क्यस्मृति, १.२६

9 विशीलः कामवृत्तो वा गुणैः वा परिवर्जितः।
उपचर्यः स्त्रिया साध्त्या सततं देववत् पतिः।। मनुस्मृति, ५.१५४

10 क्रीडां शरीरसंस्कार समाजोत्सवदर्शनम्।
हास्यं परग्रहे यानं त्यजेत्प्रोषितभर्तृका। याज्ञवल्क्य स्मृति, २.७४

11 यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः।। मनुस्मृति, ३.५६

12 शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत् कुलम्।
न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद् हि सर्वदा। मनुस्मृति, ३.५७
जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः
तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः।। मनुस्मृति, ३.५८

13 स्वभाव एष नारीणां नराणामिह दूषणम्।
अतोऽर्थान्न प्रमाद्यन्ति प्रमदासु विपश्चितः।। मनुस्मृति, २.२१३

14 अविद्वांसमलं लोके विद्वांसमपि वा पुनः।
प्रमदा ह्युत्पथं नेतुं कामक्रोधवशाऽनुगम् ।। मनुस्मृति, २.२१४

15 भर्तृशासनमुल्लंघ्य या च स्त्री विप्रवर्त्तते।
तस्याश्चैव न भोक्तव्यं विज्ञेया कामचारिणी। आङ्गिरस स्मृति, ६८।।

16 सदा प्रहृष्टया भात्यं गृहकोर्य च दक्षया।
सुसंस्कृत्तोपस्करया व्यचे चाऽमुक्तहस्तया।। मनुस्मृति, ५.२५०
अर्थस्य सङ्ग्रहे चैनां व्यये चैव नियोजयेत्।
शौचे धर्मेऽन्नपत्तयां च पारिणाह्यस्य वेक्षणे।। मनुस्मृति, १.१२

17 अनेन नारी वृत्तेन मनोवाग्देहसंयता।
इहाऽग्यां कीर्तिं माप्नोति पतिलोकं परत्र च।। मनुस्मृति, ५,१६६
पतिप्रियहिते युक्ता स्वाचारा विजितेन्द्रिया।
सेह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमां गतिम्।। याज्ञवल्क्य स्मृति, १.२०

18 नस्त्री त्यागमर्हति। मनुस्मृति, १.३७९

19 या श्वनिष्कासंसिन्यः प्रोषित विधवा व्यङ्गा कन्यका वाऽऽत्मानं बिभृयुस्त्मः स्वदासीभिरनुसार्य सोपसग्रहं कर्म कारमितत्याः। कौटिल्य अर्थ, २.३९.२३.३, पृ. १९३

20 विनयावनताऽपि स्त्री भर्तुर्या दुर्भगा भवेत्।
अमुत्रोमाग्निभर्तृणामवज्ञातिः कृता तथा।। कात्यायनस्मृति, १९.८
पतिमुल्लङ्घ य मोहात् स्त्री कं कं न नरकं व्रजेत्।
कृच्छ्रान्मनुष्यतां प्राप्य कि कि दुःखं न विन्दति।।11।। कात्यायन स्मृति १९.११

21 शुश्रूषस्व गुरुन् कुरु प्रियसखी वृत्तिं सपत्नीजने
भर्तुविप्रकृताऽपि रोपणतया मा स्म प्रतीयं गमः।
भूमिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी
यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः।
अभिज्ञानशाकुन्तलम्, ४.१८, पृ. २२९

22 वैवाहिको विधिः स्त्रीणां संस्कारो वैदिक स्मतः।
पतिसेवा गुरौ वासो गृहार्थोऽग्नि परिक्रिया। मनुस्मृति, २.३८

23 तद्व्यतिक्रमे खलु पुनरुभयोर्नरकः। आपस्तम्ब धर्मसूत्र, २.१०.२७.६, पृ. ४७८
सा भार्य्या या वहेदग्नि सा भार्य्या या पतिवृता।
अमन्त्रिका तु कार्येय स्त्रीणामावृदशेषतः।
संस्कारार्थ शरीरस्य यथाकाल यथाक्रमम।
साभार्य्या या प्रतिप्राणा सा कार्य्या या प्रजावती।।

जाना चाहिए ऐसी धर्मशास्त्र में व्यवस्था है।[24] और स्त्रियों के संस्कारों को अमन्त्रक भी माना है।[25] याज्ञवल्क्य आदि स्मृतिकारों ने उपनयन का उल्लेख नहीं किया परन्तु कर्णवेधन संस्कार के पश्चात् ही विवाह की बात की है।[26]

पत्नी द्वारा ऋणादान परिशोधन कुछ विशेष स्थितियों में स्त्रियों को भी अधिकार दिए हैं। ग्वाले आदि की स्त्रियाँ ऋणों का भुगतान किया करतीं थीं। सम्भवत: कहा जा सकता है कि वे शिक्षित होगी।

नारद का कहना है कि आपत्ति के समय में लिए गए ऋण का भुगतान पति को करना पड़ता था। दूसरे समय में पत्नी के द्वारा किए हुए ऋण का भुगतान पति नहीं कर सकता। यदि पति कहीं दूर चला जाए तब कुटुम्ब के लिए यदि पत्नी ऋण ले तो वह ऋण पति द्वारा शोधनीय होगा[27] क्योंकि पत्नियों का पूर्ण विश्वास पति पर होता है व पति के ऊपर कुटुम्ब का दायित्व होता है।

पत्नी की सम्पत्ति के सन्दर्भ में बौधायन कहते हैं कि स्त्रियों को स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं थी। किसी भी अवस्था में उनको स्वतन्त्र जीने के योग्य नहीं।[28] क्योंकि स्त्रियों में बल नहीं होता है और वे सम्पत्ति के भाग की अधिकारिणी भी नहीं होती हैं।[29] सभी वर्णों की पत्नियों के लिए भी यही है कहा कि इनकी रक्षा धन से भी अधिक बढ़कर करनी चाहिए।[30] आभूषण एवं बन्धु-बान्धवों द्वारा प्राप्त धन के ऊपर पत्नी का ही अधिकार होता है।[31] पति व पत्नी के मध्य धर्मशास्त्रकारों ने स्त्रियों को स्वतन्त्र नहीं माना अत: वे ज्यादा से ज्यादा कर्म संरक्षण में ही किया करती थीं। पत्नी को पति की सम्पत्ति में कुछ अधिकार प्राप्त थे। स्त्रीधन पर पूर्ण अधिकार हुआ करता था। कुछ विशेष आपातकाल में पति द्वारा स्त्री के स्त्रीधन लेने का विधान था व पुन: न भी लौटाये ऐसा भी विधान प्राप्त होता है।

आपस्तम्ब सम्पत्ति के बँटवारे में पति व पत्नी के मध्य किसी भी प्रकार के विभाग को स्वीकार नहीं करते हैं।[32] मनु कहते हैं कि जो मोहवश स्त्री के स्त्रीधन का उपभोग करते हैं या नारी के वाहन, वस्त्र, आभूषण आदि का उपभोग करते हैं तो वे नरक अर्थात् अधोगति को प्राप्त होते हैं।[33] मनु कहते हैं कि अपने परिवार के धन में से आभूषण आदि स्त्री को खर्च नहीं करने चाहिए। पति के जीवित रहते जो आभूषण पहना गया उसे कोई आपस में न बाँटे, यदि वे बाँटते हैं तो वे पतित कहलाते हैं।[34] पिता पुत्रों को समान भाग प्रदान करते हैं व पत्नियों को भी समान भाग देने का विधान करते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जिन पत्नियों को श्वशुर या पति के द्वारा स्त्री-धन न मिला हो तो यह उनके लिए व्यवस्था है।[35]

पुत्रों के मध्य सम्पत्ति का विभाजन होने के पश्चात् सवर्णा स्त्री में यदि कोई पुत्र हो तो वह भी भाग का अधिकारी माना गया है।[36] ऐसा भी कहा गया है कि माता-पिता जिस (पुत्र) को धन दें वह उसी का होता है।[37] याज्ञवल्क्य ने सभी को समान अधिकार देते हुए कहा कि पिता की मृत्यु के पश्चात् सभी पुत्रों आदि में समान विभाग करने के पश्चात् माता को भी स्त्रीधन न मिला हो तो वह भी समान अंश की अधिकारिणी होती है।[38] बहनों के विवाह यदि नहीं हुए तो सभी भाई स्वयं के अंश से चतुर्थांश देकर विवाह आदि करायें।[39] मिताक्षरा ने भी इसी मत को स्वीकारा है। यदि पुत्रहीन व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे की स्त्री में नियोग के द्वारा उत्पन्न पुत्र हो तो वह दोनों की सम्पत्ति का अधिकारी व पिण्डदाता होता है।[40] शूद्र के द्वारा भी दासी में उत्पन्न पुत्र पिता की इच्छानुसार सम्पत्ति में भागीदारी माना जाता है।

जो माता-पिता आदि द्वारा प्राप्त धन, विवाह के शुल्क के रूप में भी दिया गया धन, विवाह के बाद पति व पितृकुल से प्राप्त धन को स्त्री-धन कहा जाता है और स्त्रीधन वाली स्त्री यदि सन्तानरहित मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो बन्धु, पति आदि स्त्रीधन का भोग कर सकते हैं।[41]

याज्ञवल्क्य कहते हैं कि ब्राह्म आदि चार प्रकार के विवाह द्वारा विवाहित पत्नी यदि पुत्रहीन मर जाए तो उसका धन पति को मिल जाता है। अन्य विवाहों के होने पर धन पत्नी के पिता के पास जाता है। परन्तु यदि उस पत्नी की पुत्रियाँ हों तो वह धन उनको मिल जाता है।[42] दुर्भिक्ष में, धर्मों के कार्य करने में, रोग आदि में यदि पति स्त्रीधन ले लेती हैं तो वह पुन: लौटाने का भागी नहीं होता अर्थात् वह नहीं लौटाता।[43] जो पैतृकक्रम से विशेषाधिकार प्राप्त हैं इनके विषय में कौटिल्य कहते हैं कि यदि किसी ब्राह्मण की चारों वर्णों की पत्नियाँ हों तो ब्राह्मणी से पैदा हुए पुत्र को चार भाग, क्षत्रिया स्त्री के पुत्र को

---

24 नास्ति स्त्रीणां क्रिया मन्त्रैरिति धर्मे व्यवस्थिति:।
निरिन्द्रिया ह्यमन्त्रा श्व स्त्रियोऽनुतमिति स्थिति:।। मनुस्मृति, ९.१८

25 संस्कारार्थं शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमम्।। मनुस्मृति २.६६

26 तूष्णीमेता: क्रिया: स्त्रीणां विवाहस्तु समन्त्रक:।। याज्ञवल्क्य स्मृति, १.१३

27 न च भार्याकृतमृणं पत्युर्वापि कथं भवेत्।
आपत्कृताहते पुसां कुटुम्बार्थो हि दुस्तर:।। नारद स्मृति, ४.१७, पृ. ६३

28 न स्त्री स्वातन्त्र्यं विदन्ते।। बौधायन धर्मसूत्र, २.२.४५, पृ. २९२
पिता रक्षति कौमार भर्ता रक्षति यौवने।
पुत्रस्तु स्थातिरे भावे न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हतीति।

29 निरिन्द्रिया ह्यदायाश्च स्त्रियो मता इति श्रुति:।। बौधायन धर्मसूत्र, २.२.४८,पृ. १९३

30 सर्वेषामेव वर्णानां दारा रक्ष्यतमा।। बौधायन धर्मसूत्र, २.२.२, पृ. ११६

31 अलङ्कारो भार्याया: ज्ञातिधनं चेत्येके।।
आपस्तम्ब धर्मसूत्र, २.६.२४.९, पृ. ४.९
भार्यायास्तु धृतोऽलङ्कारोंऽश: ज्ञातिभ्य: पित्रादिभ्यश्च यल्लब्धं धनं तच्चेत्येवमेके मन्यते।। आपस्तम्ब धर्मसूत्र, उज्ज्वला प्रति, २.६.१४.९, पृ. ४०९

32 जायापत्योर्न विभागो विद्यते।। आपस्तम्ब धर्मसूत्र, २.६.१४.१६,पृ. ४१०

33 स्त्रीधनानि तु ये मोहदुपजीवन्ति बान्धवा:।
नारीयानानि वस्त्रं वा ते पापा यान्त्यधोगतिम्।। मनुस्मृति, ३.४२

34 न निर्हारं स्त्रिय: कुर्यु: कुटुम्बाद्, बहुमध्यगात्।
स्वकादपि च वित्ताद् हि स्वस्य भर्तुरनाज्ञया।। मनुस्मृति, ९.१११
पत्यौ जीवति य: स्त्रीभिरलङ्कारो धृतो भवेत्।
न तं भजेरन् दायादा भजमाना: पतन्ति ते।। मनुसमृति, ९.२००

35 यदि कुर्यात्समानंशान् पत्न्य: कार्या: समांशिका:।
न दत्तं स्त्रीधनं यासां भर्त्रा वर श्वशुरेण वा।। याज्ञवल्क्य स्मृति, १.११५

36 विभक्तेषु सुतो जात: सवर्णायां विभागभाक्। याज्ञवल्क्य स्मृति, २.१२२

37 पितृभ्यां यस्य यद्दतं तत्तस्यैव धनं भवेत्।। याज्ञवल्क्य स्मृति, २.१२३

38 पितुरूर्ध्वं विभजतां माताऽप्यंश समं हरेत्।। याज्ञवल्क्य स्मृति, २.१२३

39 भगिन्यश्च निजादंशाद्दत्त्वांशं तु तुरीयम्।। याज्ञवल्क्य स्मृति, २.१२४

40 अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पाडित: सुत:।
उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मत:।। याज्ञवल्क्य स्मृति, २.१२७

41 बन्धुदत्तं तथा शुल्कमन्वाधेयकमेव च।
अतीतायामप्रजसि बान्धवास्तदवाप्नुयु:।। याज्ञवल्क्य स्मृति, २.१४४

42 अप्रजस्त्रीधनं भर्तुर्ब्राह्मादिषु चतुर्ष्वपि।
दुहितृणां प्रसूता चेच्छेषेषु पितृगामि तत्।। याज्ञवल्क्य स्मृति, २.१४५

43 दुर्भिक्षे धमकार्ये च व्याधौ संप्रतिरोधके।
गृहीतं स्त्रीधनं भर्ता न स्त्रियै दातुमर्हति।। याज्ञवल्क्य स्मृति, २.१४८

तीन भाग, वैश्या पत्नी के पुत्र को दो भाग और शूद्रा में उत्पन्न हुए पुत्र को एक भाग मिलना चाहिए।[44]

उपसंहार

नारी की स्थिति सामान्य थी कुछ स्थलों पर पत्नी को उसके अधिकार प्रदान किए व कुछ कार्यों को कर्त्तव्य समझकर करने के लिए कहा गया है।

सन्दर्भ

मूलग्रन्थ

1. आपस्तम्ब धर्मसूत्रम् - कुमार, नरेन्द्र आचार्य (हरदत्त मिश्रविरचित उज्ज्वलावृत्ति) विद्यानिधि प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण-२०१०ई.
2. कौटिलीय-अर्थशास्त्रम् - गैरोला, वाचस्पति, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, २०१५ई.
3. गौतम धर्मसूत्रम् - पाण्डेय, उमेशचन्द्र (हरदत्तकृत मिताक्षरावृत्ति) चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, पुनर्मुद्रण वि.सं. २०६९ई.
4. नारदस्मृति - स्वाईं, ब्रजकिशोर, तिलोत्तमा (संस्कृत टिप्पणी और हिन्दी भाषासहित) चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, पुनर्मुद्रण, वि.सं. २०७२ई.
5. बौधायन-धर्मसूत्रम् - पाण्डेय, उमेशचन्द्र (गोविन्दस्वामिप्रणीत विवरणटीका) चौखम्भा प्रकाशन, वाराणसी, पुनर्मुद्रण, २०१७ ई.
6. मनुस्मृति - भट्ट, रामेश्वर, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली, २०११ई.
7. याज्ञवल्क्य स्मृति - विज्ञानेश्वरप्रणीत मिताक्षराव्याख्या, हिन्दी व्याख्याकार और सम्पादक सागर राय, गङ्गा, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली, २००२ई.

सहायक ग्रन्थ-हिन्दी

8. आर्य, भारती - स्मृतियों में नारी, ज्ञानपुर (भदोही), द्वितीय संस्करण-२००७ ई.
9. काणे, पाण्डुरङ्गवामन - धर्मशास्त्र का इतिहास, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ, १९६४ ई.
10. कुजुर, एस. - वैदिक और धर्मशास्त्रीय साहित्य में नारी, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, १९८२ ई.
11. द्विवेदी, कपिलदेव - वेदों में नारी, विश्वभारती अनुसंधान परिषद् (शान्ति निकेतन, ज्ञानपुर) उ.प्र, २००५ ई.
12. विश्नोई, अर्चना - रामायण में नारी, परिमल प्रकाशन, दिल्ली, २००२ ई.
13. शर्मा, मालती - वैदिक संहिताओं में नारी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, वैक्रमाब्द. २०४७

सहायक ग्रन्थ-अंग्रेजी

14. Altekar AS. The Position of Women in Hindu Civilization. Delhi: Motilal Banarasidass Publishers Private Limited, Second Edition; c1959.
15. Kane PV. History of Dharmashastra (Vol. I-V), Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona.
16. Mathur AD. Medieval Hindu Law (A Study of Post-Smriti Changes in Hindu Law), Oxford University Press; c2007.

कोशग्रन्थ

17. आप्टे, वामनशिवराम - संस्कृत-हिन्दीकोश, रचना प्रकाशन, जयपुर, प्रथम संस्करण, २००६ ई.
18. शर्मा, लीलाधर पर्वतीय - भारतीय संस्कृतिकोश, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, २०१३ ई.

अन्तर्जालीय स्रोत

19. https://en.m.wikipedia.org - Adultry Law in India – wikipedia.
20. www.yourarticlelibrary.com - Manu's Opinion on the Status of Woman.

[44] तेन त्रिवर्णद्विपर्णपुत्रविभागः क्षत्रियवैश्ययोर्व्याख्यातः। कौटिल्य अर्थशkL=k ý-öü-ö-ö] i`- üøú